न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	:	सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या	:	1277/2026
एफ.आई.आर.संख्या	:	73/2026
अंतर्गत धारा	:	316(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) BNS
पुलिस थाना	:	रेल्वे कॉलोनी, कोटा शहर

साबिर हुसैन पुत्र नियामत अली, निवासी ए-17, गोकुल कॉलोनी, बोरखेड़ा, थाना बोरखेड़ा, कोटा

.....प्रार्थी अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कोटा

....विपक्षी

जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार शर्मा प्रार्थी अभियुक्त की ओर से,
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज्य सरकार की ओर से।

आदेश दिनांक: 04.06.2026

प्रार्थी अभियुक्त साबिर हुसैन की ओर से जमानत का यह प्रार्थना-पत्र उनके अधिवक्ता ने पेश किया। नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है उसका उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, उसे बेवजह फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, प्रकरण के अनुसंधान तथा विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी अभियुक्त कोटा का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने एवं गवाहान को टेम्परविद किए जाने का कोई अंदेशा नहीं है। दौराने बहस उनका तर्क रहा कि पट्टा बनाने का कार्य केडीए का है, उनके द्वारा कोई फर्जी कार्य नहीं किया गया है। उक्त पट्टे को केन्सिल करने का अधिकार नगर परिषद को है। उन्होंने उक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में The Rajasthan Municipalities Act, 2009 पेज 83 पेश किया जिसका ससम्मान

Authenticated Document

अवलोकन किया गया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि प्रार्थी अभियुक्त के द्वरा फर्जी इकरानामा व मुख्तारनामा बनाकर केडीए में प्रस्तुत किया गया तथा फर्जी पट्टा बनवाकर परिवादी के साथ धोखाधडी का कार्य किया है। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फरियादी मोहम्मद मुसवीर खान ने दिनांक 01.03.2026 को एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना रेल्वे कॉलोनी में इस आशय की पेश की कि उसके द्वारा दिनांक 17.07.2021 को सिद्धि-सिद्धि नगर ग्राम रंग तालाब में भूखण्ड संख्या ए-98 रकबा 35 गुणा 50 वर्गफीट श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी जगमोहन से 16 लाख रुपये अदा कर खरीद किया। उक्त दिनांक से ही उसके कब्जे में चला आ रहा है। लक्ष्मी बाई द्वारा उक्त भूखण्ड को दिनांक 04.10.2010 को खातेदार तुलसीराम पुत्र मोतीलाल से जरिये इकरारनामा मुख्तारनामा खरीद किया था और उसके द्वारा भी जरिये इकरारनामा मुख्तारनामा खरीद किया। दिनांक 20.01.2026 को वह अपने भूखण्ड पर निर्माण कार्य करवाने हेतु ठेकेदार को मौके पर लेकर गया तो वहां पर साबिर हुसैन नाम का व्यक्ति मिला जिसने उसके खरीदशुदा भूखण्ड को अपना होना बताया तथा उसके पटटे रजिस्ट्री स्वयं के नाम होना बताया जबकि 2021 से ही प्रार्थी के कब्जे में चला आ रहा हैं दिनांक 21.01.2026 को वह केडीए कार्यालय उक्त भूखण्ड के पटटा संबंधी जानकारी प्राप्त की तो केडीए की पत्रावली में फर्जी रूप से 09.01.2024 का फर्जी इकरारनामा बनाकर मनोज कुमार व साबिर हुसैन फर्जी रूप से इकरारनामा मुख्तारनामा तुलसीराम द्वारा पूर्व में बेचे गए भूखण्ड को पुनः मनोज कुमार को बेचान किया तथा मनोज कुमार द्वारा फर्जी रूप से साबिर हुसैन को दिनांक 17.06.2025 को बेचान कर पटटा जारी करवाने हेतु केडीए में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किये। उसके द्वारा मूल खातेदार से सम्पर्क किया तो उसके द्वारा भूखण्ड को लक्ष्मी बाई को बेचान करना ही बताया परन्तु तुलसीराम द्वारा पूर्व में बेचे गए भूखण्ड को दोबारा से मनोज कुमार व साबिर हुसैन ने मिलीभगत कर फर्जी इकरारनामा व मुख्तारनामा बनाकर केडीए में प्रस्तुत फर्जी इकरारनामा मुख्तारनामा को नोटेरी ओमप्रकाश शाक्य व भूपेश यादवेन्दु एडवोकेट द्वारा तस्दीक किया है तथा पहचानकर्ता के रूप में मजहर, अर्जुन सिंह, श्योजीलाल द्वारा हस्ताक्षर किये हैं। उक्त भूखण्ड के फर्जी दस्तावेजात तैयार कर प्रार्थी के भूखण्ड को हड़पने का कार्य किया है जो गम्भीर प्रकृति का हैं प्रार्थी के द्वारा इक्त भूखण्ड को किसी को हस्तांतरित नहीं किया है। अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलीभगत कर उसके वैध स्वामित्व वाले भूखण्ड को हडपने, खुर्द बुर्द करने एवं अवैध आर्थिक अर्जित करने की स्पष्ट आपराधिक नीयत से दिनांक 18.11.2025 को फैसल खान के पक्ष में षडयंत्र रचते हुए विक्रय एग्रीमेंट निष्पादित किया....इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 73/2026 दर्ज की जो अन्वेषणाधीन है।

Authenticated Document

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं हुआ है।

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड पत्रावली पर नहीं होना बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर आया है कि उक्त प्लाट तुलसीराम का था जिसे फर्जी इकरारनामा व मुख्तारनामा के जरिये प्रार्थी अभियुक्त ने स्वयं के नाम पट्टा जारी कर करवा लिया। अनुसंधान पत्रावली पर आया है कि उक्त प्लाट तुलसीराम का था जिसके बयान अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें उसने कथन किया कि उसने भूखंड संख्या ए-98 सिद्दी विनायक नगर रंगतालाब उर्फ कालातालाब श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी जगमोहन को जरिये इकरारनामा, मुख्तारनामा के बैचान किया था तथा लक्ष्मीबाई ने मुसबीर को उक्त प्लाट बैचान किया था। उसके फर्जी इकरारनामा व मुख्तारनामा में हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली पर अनुसंधान में यह आया है कि प्रार्थी अभियुक्त ने अपने पुत्र अलबेज आलम उर्फ अनस को मनोज कुमार की फोटो लगाकर उसे मनोज कुमार के रूप में उसके आधार कार्ड पर फोटा लगवाया और उसके नाम से किशन पंजाबी गुमानपुरा से स्टाम्प लेकर विक्रय पत्र तैयार कर गवाह के रूप में मजहर के हस्ताक्षर कराकर तथा स्वयं को प्रार्थी स्वयं तुलसीराम बनाकर स्वयं ने तुलसीराम के रूप में हिन्दी में फर्जी हस्ताक्षर किये और क्रेता के रूप में अपने बेटे अलवेज आलम उर्फ हसन के मनोज कुमार के रूप में हस्ताक्षर कराये तथा फर्जी इकरारनामा तैयार किया उसके बाद अपने बेटे अलवेज आलम उर्फ मनोज कुमार के नाम से स्टाप्म लेकर विक्रय का इकरारनामा करके फर्जी पट्टा जारी करने के लिये केडीए में प्रस्तुत करना बताया गया है। उक्त फर्जी इकरारनामा व मुख्तारनामा के आधार पर केडीए द्वारा प्रार्थी अभियुक्त साबिर हुसैन के नाम दिनांक 12.11.2025 को पट्टा जारी होना बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर यह भी आया है कि अभियुक्तगण ने आपस में मिलीभगत कर फरियादी के वैध स्वामित्व वाले भूखंड को हडपने, खुर्द-बुर्द करने एवं अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने की नियत से उक्त प्लाट दिनांक 28.11.2025 को फैसल खान को पट्टा दिखाकर विक्रय एग्रीमेंट 35 लाख में तय कर एडवांस साई पेटे 50,000 रूपये नगद तथा 4,50,000/-रूपये जर्ये चैक प्राप्त किये व दिनांक 11.12.2025 को गवाह राजू के समक्ष 5 लाख रूपये नगद प्रार्थी अभियुक्त ने फैसल खान से प्राप्त किये थे। यह सही है कि पट्टे को केंसिल करने का अधिकार नगर परिषद को है, लेकिन उसके द्वारा फर्जी दस्तावेजों की रचना करके अपराधिक कृत्य किया गया है। उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के प्लाट को फर्जी हस्ताक्षर कर अपने हक में फर्जी पट्टा जारी करवाया है तथा अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित कर फर्जी पट्टा प्राप्त किया गया है। अनुसंधान में प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप प्रमाणित माना है। अतः प्रार्थी अभियुक्त की प्रकरण में संलिप्तता

सामने आती है। यह जमानत का प्रकरण है, अभी प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचना नहीं की जा सकती। अतः पत्रावली पर प्रकट हुए धोखाधड़ी, प्रार्थी अभियुक्त की प्रकरण में रही भूमिका और तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त साबिर हुसैन की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। इस जमानत आदेश में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(सत्यनारायण व्यास)

आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

BANWARI LAL GUPTA
Digitally signed by BANWARI LAL GUPTA
Date: 2026.06.04 13:50:05 +0530

(सत्यनारायण व्यास)

Authenticated Document